



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092022-238883
CG-DL-E-16092022-238883

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4163]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2022/भाद्र 24, 1944

No. 4163]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2022/BHADRA 24, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2022

का.आ. 4346(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं.का.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

अनुसूची में, क्रम सं. 509 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

| क्र. सं. | नया रारा सं. | राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण |
|----------|--------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 509 | 373 | चिक्कमगलुरु के पास रारा सं. 173 से अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बेलूर, हासन, होलेनारसीपुरा को जोड़ते हुए कर्नाटक राज्य में बिलिकेरे के पास रारा-275 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग। |

[फा. सं. एनएच-14012/3/2022-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

पाद टिप्पणः राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र दिनांक 4 अप्रैल, 2011 को अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 3851 (अ), दिनांक 17 अगस्त, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2022

S.O. 4346(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 509 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

| Serial No. | New National Highway No. | Description of National Highways |
|------------|--------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 509 | 373 | <i>The highway starting from its junction with NH-173 near Chikkamagaluru connecting Belur, Hassan, Holenarasipura and terminating at its junction with NH-275 near Bilikere in the State of Karnataka.</i> |

[F. No. NH-14012/3/2022-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 3851(E), dated 17th August, 2022.